

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/2025/03

दिनांक 07-01-2025

संशोधित-आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 605 दिनांक 31.12.2024 में संशोधन किया जा कर वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण पाये जाने पर उन्हें देय एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान सुश्री/श्री/श्रीमती	प्रथम नियुक्ति तिथि	मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	स्वीकृत एसीपी	
				वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	यश कुमार, लैब टैक्नीशियन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोह डीग	15.10.2024 09वर्षीय	एल-08	एल-10

कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक 07-01-2025

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/2025/03

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोह डीग।
- यश कुमार, लैब टैक्नीशियन द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड वास्तें।
- आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation : Director  
Date: 2025.01.03 15:58:43 IST  
Reason: Approved